जावीद अहमद,
भा0पु0से0

अर्धशा0 पत्रः डीजी-परिपत्र 61/2016
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1-बी.एन. लहरी
मार्ग,लखनऊ-226001
दिनांक:लखनऊ:नवम्बर 03 ,2016

प्रिय महोदय,

विगत कुछ समय से यह देखा गया है कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त/ विचाराधीन बन्दियों को पेशी पर ले जाते समय पर्याप्त सावधानी के अभाव में अभियुक्तों के भाग जाने अथवा गन्तव्य पर न जाकर इधर-उधर जाकर अपने संगी-साथियों से मिलने की घटनाऐं प्रकाश में आती हैं।

2- इसके अतिरिक्त प्रशासनिक आधार पर कतिपय कुख्यात बंदीगण को अन्यत्र जनपदों के कारागारों में स्थानान्तरित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अभियोग के विचारण/अन्य कारणों से उन्हे उसी जनपद में पहुँचने का प्रयास किया जाता है। इससे इन्हें अन्य जनपद के कारागार में स्थानान्तरण किये जाने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। पूर्व में भी इस संबंध में मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये जा चुके है, एवं कानून व्यवस्था संबंधी बैठकों में यह स्पष्ट निर्देश दिये जाते रहे हैं कि जब कोई दुर्दान्त अपराधी दूसरे जनपद में पेशी/इलाज के लिए भेजा जायेगा तो अच्छी छवि वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की डियूटी लगायी जायेगी तथा संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु भी अवगत कराया जायेगा। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन परिपत्रों का अनुपालन अक्षरशः नहीं किया जा रहा है।

परिपत्र संख्या:डीजी-04/2005	दिनांक 07.02.2005
परिपत्र संख्या:डीजी-50/2007	दिनांक 17.07.2005
परिपत्र संख्या:डीजी-58/2008	दिनांक 30.05.2008
परिपत्र संख्या:डीजी-83/2008	दिनांक 28.08.2008
परिपत्र संख्या:डीजी-31/2016	दिनांक 08.06.2016

3- उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.01.2016 से अब तक 33 कैदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो चुके हैं, जिसके सम्बन्ध में 39 पुलिस कर्मियों के विरूद्ध 30 केस दर्ज किये गये हैं, 11 पुलिस कर्मी जेल भेजे जा चुके हैं तथा 15 पुलिस कर्मी निलंबित किये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिस गम्भीरता की आवश्यकता है। उसका पूर्ण अभाव है और यह भी स्पष्ट है कि इस कार्य हेतु सही कर्मियों का चयन नही किया जाता है। इतना ही नही, उक्त कर्मियों को सही प्रकार से ब्रीफ भी नही किया जाता है और न ही उन्हें कोई स्पष्ट आदेश निर्गत किये जाते हैं और केवल कुछ क्षुद्र लाभ पाने के उद्देश्य से अक्षम कर्मी भी इस प्रकार की गंभीर ड्यूटी में लगा दिये जाते है। इसका परिणाम है कि प्रत्येक वर्ष प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा से भागने की घटनायें घटित हो रही है। बन्दियों के पुलिस अभिरक्षा से भागने

के मामलों में नियमानुसार उनका भी दायित्व निर्धारित करके उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करने तथा ऐसे गंभीर प्रकरणों में तत्काल निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने की आवश्यकता है:-

- जिलाधिकारी एवं जेल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि यथासम्भव ऐसे बन्दियों का उपचार कारागार परिसर में स्थापित चिकित्सालय में ही किया जाए। केवल गम्भीर बीमारी की स्थिति में ही नियमानुसार उन्हें अन्य चिकित्सालय में भेजने की अनुमति दी जाए। इस सुविधा का कदापि दुरूपयोग न होने पाये।
- बंदियों को ले जाने के लिए गार्ड स्कोर्ट रूल्स के अन्तर्गत सही संख्या में पुलिस कर्मी लगाये जाय। यह भी स्पष्ट किया जाये कि यह संख्या न्यूनतम है। यदि कोई बन्दी जघन्य अपराध में लिप्त रहा है अथवा जिसके भागने की आशंका है, तो ऐसे बंदियों के साथ पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाया जाना उचित होगा ।
- समय-समय पर पुलिस राजपत्रित स्तर के अधिकारी द्वारा एस्कोर्ट ड्यूटी में लगे वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ड्यूटी पर लगाया गया सम्पूर्ण बल उपलब्ध है।
- एस्कोर्ट ड्यूटी हेतु जो कर्मी लगाये जायें, उनको प्रतिसार निरीक्षक का यह द्वारा पूर्व से भलीभांति ब्रीफ किया जाना चाहिए। प्रतिसार निरीक्षक तथा डियूटी पर नियुक्त उपनिरीक्षक को स्पष्ट कर दिया जाय कि अभियुक्तो तथा कैदियों को माननीय न्यायालय में सुरक्षित प्रस्तुत किया जाये। इसमें किसी तरह की कोई शिथिलता पाये जाने पर प्रतिसार निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।
- कर्मियों को लिखित रूप से स्पष्ट निर्देश दिये जायें, जो मूवमेन्ट आर्डर में इंगित हो। जैसे यदि बन्दी को जेल से दूसरे जनपद की जेल में ले जाना है तो किस वाहन से एवं किस मार्ग से ले जाना है, उसको स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय। दूरी देखते हुए समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है। यदि यह यात्रा ट्रेन से है तो उसका उल्लेख भी स्पष्ट तौर पर किया जाय। यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाय कि किसी भी दशा में सरकारी वाहन अथवा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जैसे बस/ट्रेन के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन प्रयोग न किया जाये।
- स्कोर्ट ड्यूटी में चल रहे कर्मियों को ऐसे वायरलेस सेट दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है जिनमें उन स्थानों की फीक्वेन्सी हो, जहॉ से यह प्रस्थान कर रहे है और जहॉ पहुच रहें हैं। इससे स्कोर्ट कर्मियों की लोकेशन की जानकारी बनी रहेगी तथा यह भी आवश्यकता पड़ने पर विभाग को सूचित कर सकेंगे।

- कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाये कि यदि कोई बन्दी बीमारी आदि की शिकायत करता है तो उसे सबसे पहले स्थानीय थाने अथवा जी0आर0पी0 थाने पर उसे ले जायें। यदि वह गम्भीर अस्वस्थता में है तो आकस्मिक रूप से उसे अस्पताल ले जाया जा सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी जाय।
- कर्मियों को यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाय कि वह अपराधियों को अन्य लोगों से मेल मिलाप या बात करने का अवसर न दें।
- कुछ गंभीर मामलों में जी0पी0एस0 का प्रयोग किया जाना भी उचित होगा जिससे कि जी0पी0एस0 के माध्यम से स्कोर्ट का सही पता लगाये जाने की मानीटरिंग कन्ट्रोल रूम द्वारा की जा सके।
- कैदियों की मा0न्यायालय में पेशी हेतु आवागमन/प्रस्तुतिकरण के समय उनके सहयोगियों/सम्बन्धियों एवं अवॉछनीय तत्वों से सम्पर्क न होने पाये।
- कोई भी कैदी मोबाइल फोन का प्रयोग न करने पाये और न ही एस्कोर्ट ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल से कहीं सम्पर्क कर सके। यदि मा0 न्यायालय में पेशी के समय मोबाइल फोन प्रयोग किये जाने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो सम्बन्धित दोषी पुलिस कर्मी के विरूद्व कठोरतम कार्यवाही की जाये।
- पेशी हेतु जाने वाले अपराधियों को मा0न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान यथा-होटल, अस्पताल, गेस्ट हाउस आदि पर जाने न दिया जाय व एस्कोर्ट में लगे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं ऐसे अपराधियों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे खाद्य/पेय पदार्थ/रूकने के स्थान/वाहन आदि सुविधाओं का उपभोग कदापि न किया जाय।
- किसी भी हालत में एस्कोर्ट कर्मी बन्दी को उसके घर, रिश्तेदारी या अन्य किसी स्थान पर लेकर नहीं जायेगें और न ही आपराधिक व्यक्ति व उसके मित्रों/परिजनों द्वारा दिये गये वाहन का प्रयोग करेंगे।
- जिस न्यायालय में ऐसे बड़े अपराधी पेशी हेतु लाये जा रहे हैं, उस न्यायालय परिसर में एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा आकस्मिक चेकिग कराकर यह देख लिया जाय कि अवॉछित तत्व पेशी के बहाने इनसे सम्पर्क तो नहीं कर रहे हैं।
- अभियुक्तों का आवागमन सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करें। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि रात्रि में यात्रा करना आवश्यक हो तो यथासम्भव सुरक्षित पुलिस वाहन का ही उपयोग किया जाय।

- यदि किसी कारण न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व अल्प विराम की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा प्रभारी से बात करके अभियुक्तों को थाने के लाक-अप में रखा जाय।
- यदि अभियुक्तों को रात्रि विश्राम की आवश्यकता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित जिले की जेल में अभियुक्त को नियमानुसार दाखिल किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अवगत करा दें, जिससे कि भविष्य में पुलिस अभिरक्षा से बंदियों के पलायन की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

भवदीय,

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,
जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0शसन को उनके पत्र संख्या:21085/22-5-2016-1100(30)/2010 दिनांक 24.10.2016 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।